

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0स0 :-3/अ0प्र0-1-118/2013

865

/पटना, दिनांक :- 24.4.2020

श्री अशोक कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा के विरुद्ध एकंगरसराय प्रखंड में दो पथों यथा तेलहाड़ा लिबड़ी रोड से बिजोखरी (BR-24R-012) तथा एकंगरसराय रोड से रसीसा पथ (BR-24R-025) में बरती गयी अनियमितता के लिए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर संकल्प ज्ञापांक 447 अनु० दिनांक 06.03.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता-4, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 7759 अनु० दिनांक 31.07.2017 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा मुख्य रूप से NQM एवं SQM के जांच प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए Seal Coat Type 'A' का कार्य नहीं कराने के आरोप को अप्रमाणित माना गया है। समीक्षोपरांत यह भी पाया गया कि NQM/SQM के द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में बिटुमिनस सरफेस कार्य को 'S' अंकित किया गया है किन्तु NQM द्वारा दिनांक 28.07.2013 के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार जॉचित बिन्दु 500 मीटर पर 22 मी०मी० दर्ज है, जो प्रावधानित 20 मी०मी०+06 मी०मी०=26 मी०मी० से कम है।

4. उक्त आलोक में समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 219 अनु० दिनांक 01.02.2018 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री कुमार के पत्रांक शून्य दिनांक 29.11.2018 द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान में Seal Coat के संदर्भ में MORD के Specification for Rural Road के प्रावधान के अनुरूप कराये जाने का उल्लेख करते हुए मामले में SQM एवं NQM के निरीक्षण प्रतिवेदन का जिक्र किया गया। साथ ही संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा मामले में किये गये पथ के निरीक्षण का उल्लेख करते हुए अन्य तकनीकी बिन्दुओं का भी उल्लेख किया गया।

6. श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान पर तकनीकी मंतव्य की मांग मुख्य अभियंता-2 से किया गया। मुख्य अभियंता-2 द्वारा श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान स्वीकार किये जाने का मंतव्य दिया गया।

7. तदालोक में इस पूरे प्रकरण की विभाग स्तर पर समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि MORD के Specification for Rural road के कंडिका-510.2.2 में Seal Coat टाईप 'A' की पृथक मोटाई का उल्लेख नहीं है, अपितु 10M² क्षेत्रफल में 9.8 kg बिटुमिन के स्प्रेडिंग एवं इसके उपर 6.7mm साईज को 0.09M³ मात्रा का छिड़काव करने

का प्रावधान है। तदुपरान्त पथवेलन से समुचित चपाई का प्रावधान है, ताकि स्टोन चिप्स विटुमन पूरी तरह चिपक जाये एवं Uniform close surface carpet तैयार हो जाय। वर्णित पथ में जांच प्रतिवेदन के अनुसार Chainage 3.26 कि०मी० पर Bituminous Layer की Thickness 19mm पाई गई है। Seal Coat का कार्य पूर्ण होने के पश्चात Thickness में कमी संभव नहीं है। इस प्रकार श्री अशोक कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

8. श्री कुमार के दिनांक 31.01.2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश ज्ञापांक 2316 दिनांक 16.08.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्पत्तिवर्तित कर दिया गया है।


9. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनके पेंशन से अगले पाँच वर्षों तक 50 (पचास) प्रतिशत की कटौती करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

10. श्री कुमार के विरुद्ध उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 276 अनु० दिनांक 10.01.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 3385 दिनांक 17.03.2020 द्वारा दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है।

11. अतः उक्त के आलोक में श्री अशोक कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा सम्प्रति सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध प्रश्नगत मामले में प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के सुसंगत प्रावधान के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:-

(i) पेंशन से 05 (पाँच) वर्षों तक 50 (पचास) प्रतिशत की कटौती।

बिहार राज्यपाल के आदेश से




(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक :-3/अ०प्र०-1-118/2013 866 /पटना, दिनांक :-24.4.2020


प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) हेतु प्रेषित।




अपर सचिव




ज्ञापांक :-3/अ0प्र0-1-118/2013 866 /पटना, दिनांक :- 24.4.2020
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार
पदाधिकारी, निर्माण भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव


ज्ञापांक :-3/अ0प्र0-1-118/2013 866 /पटना, दिनांक :- 24.4.2020
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/जल संसाधन
विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण
विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य
पदाधिकारी (लेखा), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालंदा/पूर्णिया/प्रशाखा
श्री अशोक कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
हिलसा सम्प्रति सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता पत्राचार का पता :- फ्लैट नं0-608, माधुरी
इनक्लेव अपार्टमेंट, बाँस कोठी, पोस्ट - दीघानगर, जिला-पटना, पिन कोड-800011 को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

ज्ञापांक :-3/अ0प्र0-1-118/2013 866 /पटना, दिनांक :- 24.4.2020
प्रतिलिपि:- सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक
3385 दिनांक 17.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव

ज्ञापांक :-3/अ0प्र0-1-118/2013 866 /पटना, दिनांक :- 24.4.2020
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय
मंत्री के अवलोकनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को
विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

केरु